

2022/488

फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत- सहायक कलक्टर मुकाम- डीडवाना


प्रार्थी :- बनवारी पुत्र भंवराराम जाति बावरी निवासी बेरी कलां, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान।

बनाम्

अप्रार्थीगण :- प्रभुराम पुत्र जमनाराम जाति बावरी निवासी बेरी कलां, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान वगैराह।

किस्म मुकदमा- राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या. 176 सन्-.....2022..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
13.07.2022	<p>प्रार्थी बनवारी पुत्र भंवराराम जाति बावरी निवासी बेरी कलां, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान ने यह प्रार्थना-पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रभुराम पुत्र जमनाराम जाति बावरी निवासी बेरी कलां, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान वगैराह का पेश किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी सुने गये तथा रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन करने तथा प्रार्थी के शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, आगामी आदेश तक वाकै सरहद बेरी कलां में प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि खसरा सं० 1043/124, 123 में राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थी पक्ष सी०पी०सी० के आदेश 39 के नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें।</p> <p>अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 06.09.2022 को पेश हो।</p>	


सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)




29/0/22

वकील शर्मा के प्राथम-पत्र पर पत्रावली अफ
पत्रा दुर्द ।

वकील शर्मा के प्राथम-पत्र पर अर निवेदन कि या डि
पक्षभारत के मध्य नजीनाफा से बुटा है अर प्राथम-पत्र
जसिये विद्रोल खारिज करवाना चाहते है

अर: शर्मा का प्राथम-पत्र (पत्रावली) जसिये विद्रोल
खारिज की जाती है पत्रावली नम्बर से अफ लेबर
सर्विस पफ्टर हो।


सहायक कलेक्टर
होडवाना (नागौर)